राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3866/2025

सुमन कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
4. खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नीम का थाना, जिला सीकर।
5. इन्चार्ज महोदय सीएचसी चला ब्लॉक नीम का थाना, जिला सीकर।
6. इन्चार्ज महोदय सीएचसी सेतरावा, जिला फलोदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.08.2025
आदेश की दिनांक : 26.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र कुमार, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफीसर ग्रेड द्वितीय के पद पर सीएचसी चला ब्लॉक नीम का थाना, जिला सीकर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से सीएचसी सेतरावा, जिला फलौदी में किया गया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 2181/2025 प्रस्तुत की गई तथा अधिकरण द्वारा दिनांक 11.03.2025 को आदेश पारित करते हुये यह निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी दो सप्ताह में सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग उसका तीस दिवस में

निस्तारण करने के निर्देश प्रदान करे। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना विवेक का प्रयोग किये निस्तारण करते हुये खारिज कर दिया गया है। चूंकि स्थानान्तरण स्थान सीएचसी सेतरावा, जिला फलौदी में नर्सिंग ऑफीसर ग्रेड द्वितीय का कोई पद रिक्त नहीं है और इस प्रकार जारी किया गया आलोच्य आदेश नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन से 450 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में कार्यरत है और इस प्रकार पति–पत्नी का स्थानांतरण/पदस्थापन एक ही स्थान अथवा नजदीकी स्थान पर होना चाहिये, परंतु अपीलार्थी का स्थानांतरण जिले से बाहर किया गया है, जो नीति विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं 18.07.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान अथवा नजदीकी स्थान पर पदस्थापित किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नर्सिंग ऑफीसर ग्रेड द्वितीय के पद पर सीएचसी चला ब्लॉक नीम का थाना, जिला सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से सीएचसी सेतरावा, जिला फलौदी में किया गया है। अनुलग्नक–6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुये अपील संख्या 2181/2025 प्रस्तुत की गई तथा अधिकरण द्वारा दिनांक 11.03.2025 को आदेश पारित करते हुये यह निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी दो सप्ताह में सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग उसका तीस दिवस में निस्तारण करने के निर्देश प्रदान करे। उक्त निर्देशों की पालना में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 18.07.2025 को अपीलार्थी के अभ्यावेदन का नियमानुसार निस्तारण किया गया, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार हम आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2025 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील में कोई बल न होने के आधार पर खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य